

3574

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

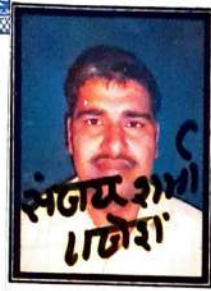
FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 314860



(विक्रय-पत्र)

1. भूमि का प्रकार — कृषि
2. वार्ड/परगना -- टप्पल
3. मौहल्ला/ग्राम — घरबरा
4. विक्रित क्षेत्र — 0.127 है०
5. मापन की इकाई -- हैक्टेअर
6. सड़क की स्थिति(परिशिष्ट के अनुसार)—सड़क से दूर
7. अन्य विवरण(9 मी. कार्नर इत्यादि)— नहीं
8. सम्पत्ति का प्रकार — कृषि
9. सम्पत्ति का कुल क्षेत्र — 0.127 है०

से जम हुआ 22/11/11

राजेश्वरी (1)



प्रमाणित किया जाता है कि
प्रमाणित किया जाता है कि
ला 0 न 0

121825
2000 gms of gum
no 1000 gms

201- 201 44401-
 जा...
 पुत्र...
 निवास...
 ने...
 दि...
 ...

वन रजिस्ट्रार, बेंगलूर
125700

20000/-

पू. / श्रीगणेशाय नमः / नमः भरे समक्ष पाकर श्री संजय कुमार
म. न. दुर्गा मन्दिर, धारवाड़ा

मन्त्री राजेश प्रसाद जी ने

स्वीकार किया।

जिनकी पहचान की गयी है
 पुत्र श्री नरेश कुमार
 निवासी लाहौर
 नं. 1451
 तब रजिस्ट्रार



D 314861

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Handwritten signature/initials in blue ink.

10. कुल आच्छादित क्षे. — नहीं
11. स्थिति-फिनिशड/सेमीफिनिशड/अन्य-नहीं
12. पेड़ों का मूल्यांकन — नहीं
13. बोरिंग/कुँआ/अन्य — कोई नहीं
14. सहकारी आवास समिति के सदस्यों से सम्बन्धित है — नहीं
15. बैनामा — 200000 /
16. मालियत — 221000 /
17. स्टाम्प — 177000 / 8प्रतिशत
18. रेट — 400000 / प्रति बीघा

Handwritten signature: राजेश कुमार शर्मा

Handwritten signature: राजेश (2)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 314719



प्रथम पक्ष (विक्रेता) का विवरण / प्रथम पक्ष की सं० (1)
संजय कुमार पुत्र श्री हुकमचन्द शर्मा नि० घरबरा पर० टप्पल
तह० खैर जिला अलीगढ़

द्वितीय पक्ष (क्रेता) का विवरण / द्वितीय पक्ष की सं० (1)
पं० लक्ष्मीनारायण मैमोरियल महाविद्यालय घरबरा द्वारा पदेन
प्रबन्धक श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नी श्री देवपाल शर्मा नि०
घरबरा पर० टप्पल तह० खैर जिला अलीगढ़

संजय कुमार शर्मा

राजेश्वरी (3)



भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 340167

हम कि संजय कुमार पुत्र श्री हुकमचन्द शर्मा नि० घरबरा पर० टप्पल तह० खैर जिला अलीगढ प्रथम पक्ष विक्रेता व पं० लक्ष्मीनारायण मैमोरियल महाविद्यालय घरबरा द्वारा पदेन प्रबन्धक श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नी श्री देवपाल शर्मा नि० घरबरा पर० टप्पल तह० खैर जिला अलीगढ द्वितीय पक्ष क्रेता हैं। यह कि प्रथम पक्ष निम्नांकित सं० भू० के खाता न० 1214 के गैर टा सं० 3382 मि० रकवा 0.127 है० माल 60 ख के अनुसार सं० भू० का पूर्ण मालिक, काबिज व दखील हैं प्रथम पक्ष को हर प्रकार के हक हस्तान्तरण का पूर्ण अधिकार प्राप्त है इस समय प्रथम पक्ष को बास्ते खर्च खानगी व दीगर इखराजात रुपयो की सख्त जरूरत है अतः

सं जम ७/११/२१/११

राजेश्वरी (4)

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 340168

प्रथम पक्ष ने खूब सोच व समझ कर विना किसी आग्रह या दवाव के अपनी उपरोक्त आराजी अपने पूर्ण भागयानि रकवा 0.127 है० को स्थित ग्राम घरबरा पर० टप्पल तह० खैर जिला अलीगढ़ को व एवज मुवलिंग 200000/दो लाख रुपये जिसके आधे 100000/एक लाखरूपया होते हैं बदस्त पं० लक्ष्मीनारायण मैमोरियल महाविद्यालय घरबरा द्वारा पदेन प्रबन्धक श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नी श्री देवपाल शर्मा नि० घरबरा पर० टप्पल तह० खैर जिला अलीगढ़ द्वितीय पक्ष क्रेता को बेच दी बै कतई कर दी प्रथम पक्ष ने कुल कीमत का 200000/ रू० श्रीमान सबरजिस्ट्रार खैर के सामने नकद प्राप्त कर लिया है अव मूलधन में एक पैसा पाना शेष

राजेश्वरी 12/2/11

राजेश्वरी (5)



भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 340169

नहीं रहा है यदि प्रथम पक्ष मूलधन न पाने या कम पाने का दावा करे तो वह झूठा व निरर्थक होगा। और प्रथम पक्ष ने कब्जा अपना आज की तारीख से हटाकर कब्जा क्रेता का करा दिया है। क्रेता अपना नाम कागजात सरकारी में दर्ज करा ले प्रथम पक्ष को कोई एतराज नहीं होगा विक्रित भूमि हर प्रकार के भार व बन्धन से मुक्त तथा पवित्र है यदि प्रथम पक्ष की त्रुटि के कारण विक्रित भूमि या उसका कोई अंश कब्जा क्रेता से निकल जावे तो वह अपना समस्त मूलधन मय हर्जा खर्जा के प्रथम पक्ष से जिस तौर चाहे बसूल कर ले। क्रेता उपरोक्त भूमि को जिस तौर चाहे अपने प्रयोग में लावे प्रथम पक्ष को कोई एतराज नहीं होगा। फोटो

संजय कुमार शर्मा

राजेश्वरी (6)

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 340188

गवाह नं. 1 ने प्रमाणित किये हैं। विक्रित भूमि का निर्धारित दर से बाजार मूल्य 221000/ रु0 है जिस स्टाम्प दिया गया है। विक्रित आराजी भूदान आदि की नहीं हैं विक्रित आराजी में कोई पेड़ पौधा तथा वोरिंग आदि नहीं है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। अतः यह बैनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। बैनामा विक्रेता तथा क्रेता के कथनानुसार टाइप किया गया है। तहरीर दिनांक 12/05/08 ई0।

संजय कुमार शर्मा

राजेश्वरी (7)

भारतीय गैर न्यायिक भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

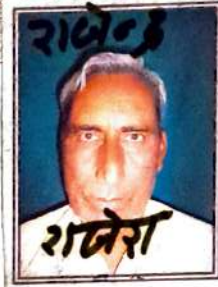
सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 340189



गवाह नं. 1 राजकुमार प्रसाद शर्मा पुत्र श्री बेहराम शर्मा लालपुर

गवाह नं. 2 राजेश कुमार पुत्र श्री प्रताप नाथ 'पारव' पारव

सं. राजेश कुमार शर्मा

राजेश्वरी (8)

12-5-08

राजेश कुमार शर्मा लालपुर
राजेश कुमार शर्मा लालपुर
राजेश कुमार शर्मा लालपुर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 281261



कम्प्यूटर टाइप कर्ता — रुपेश कुमार शर्मा तह0 खैर

संजय कुमार शर्मा राजेश्वरी (9)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 876745



मसौदा कर्ता - सुरेन्द्र कुमार गौतम दस्तावेज लेखक तह0
खैर

सेजप नं० 12217

राजेश्वरी

(10)

रजिस्टर नम्बर 103
 तारीख 12/8/20
 नाम 2000
 पिता का नाम 286
 पियाली 1000
 कोमत रटाम्प

चन्द्र प्रकाश
 स्टाम्प
 ला 0 न 0

वही नं. : 2094 के पृष्ठ 359 में नम्बर 3524
378

ए. अ. : 12-5-07 को जिरदी की गई।

Ehuel

सब रजिस्ट्रार खैर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

649058

(विक्रय-पत्र)

1. भूमि का प्रकार — कृषि
2. वार्ड/परगना — टण्डल
3. मौहल्ला/ग्राम — धरबरा
4. विकित क्षेत्र — 0.933 है०
5. मापन की इकाई — हैक्टेअर



हुकाम चन्द शर्मा

(1) राजेश्वरी

देवी चरण शर्मा
देवपाल शर्मा

वीरपाल शर्मा



163

28000 श्री पटना प्रेमी-राजान मंगिरि राम भट्टा विद्यालय के
द्वारा देवपाल श्रीमती राजेश्वरी देवी को देखा गया कि



[Signature]
12/5/08



₹: 1500000/-
मा 1623000/-

5000/- 20/- 5020/- 8700

प्रा. श्री राजेश्वरी देवी
पु. श्री देवपाल देवी पेशा.....
निवासी.....
ने देवपाल कार्यालय सब रजिस्ट्रार खेर में आज
दिन 12/5/08 मध्य.....
द्वारा प्रस्तुत किया *Echeel*

राजेश्वरी

सब रजिस्ट्रार, खेर 12/5/08

यह रजिस्ट्रार का निष्पादन एवं इसमें लिखे जरेबदल

₹ 1500000/-

प्रा. / प्र. अनुसार / नकद मेरे समक्ष पाकर श्री देवपाल देवी
को देखा गया कि देवपाल देवी को
लेखनीय रूप से दिखाया गया

निवासी.....
पु. श्री.....
निवासी.....
स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री राजेश्वरी देवी
पु. श्री देवपाल देवी पुत्र श्री.....
निवासी..... निवासी.....
मे की। *Echeel*

सब रजिस्ट्रार खेर

14/5/08



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

649059

6. सड़क की स्थिति(परिशिष्ट के अनुसार)—सड़क से दूर
7. अन्य विवरण(9 मी. कार्नर इत्यादि)— नहीं
8. सम्पत्ति का प्रकार — कृषि
9. सम्पत्ति का कुल क्षे. — 5.335 है०
10. कुल आच्छादित क्षे. — नहीं
11. स्थिति—फिनिश/सेमीफिनिश/अन्य—नहीं
12. पेड़ों का मूल्यांकन — नहीं

हुसैन चन्द शर्मा

राजेश्वरी (2)

देवी चरत शर्मा

देवपाल शर्मा

वीरवाल शर्मा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

649060

13. बोरिंग/कुँआ/अन्य — कोई नहीं
14. सहकारी आवास समिति के सदस्यों से सम्बन्धित है — नहीं
15. बैनामा — 1500000 /
16. मालियत — 1623000 /
17. स्टाम्प — 1300000 / 8प्रतिशत ✓
18. रेट — 400000 / प्रति बीघा

हुकम च-५२१००

देवी चरण शर्मा

(3) राजेश्वरी

देवपाल शर्मा

वीरपाल शर्मा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 314791



प्रथम पक्ष (विक्रेता)का विवरण/प्रथम पक्ष की सं० (4)
हुकमचन्द व देवीचरण व देवपाल व वीरपाल पुत्रगण श्री
लक्ष्मीनारायण नि० घरबरा पर० टप्पल तह० खैर जिला
अलीगढ़

हुकम च-५२१३



देवीचरण शर्मा
देवपाल शर्मा



राजेश्वर

वीरपाल शर्मा



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश-UTTAR PRADESH

D 314792

द्वितीय पक्ष(क्रेता) का विवरण/द्वितीय पक्ष की सं०(1)
पं० लक्ष्मीनारायण भैमोरियल महाविद्यालय घरबरा द्वारा पदेन
प्रबन्धक श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नी श्री देवपाल शर्मा नि०
घरबरा पर० टप्पल तह० खैर जिला अलीगढ़

हुकमचदशक



देवी चरन शर्मा
देवपाल शर्मा



राजेश्वरी

(5)



देवपाल शर्मा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 314793



हम कि हुकमचन्द व देवीचरन व देवपाल व वीरपाल पुत्रगण श्री लक्ष्मीनारायण नि० घरबरा पर० टप्पल तह० खैर जिला अलीगढ प्रथम पक्ष विक्रेतागण व पं० लक्ष्मीनारायण मैमोरियल महाविद्यालय घरबरा द्वारा पदेन प्रबन्धक श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नी श्री देवपाल शर्मा नि० घरबरा पर० टप्पल तह० खैर जिला अलीगढ द्वितीय पक्ष क्रेता हैं। यह कि प्रथम पक्ष निम्नांकित सं० भू० के खाता न० 595 के गाटा सं० 3377

हुकमचन्द

देवी चरन शर्मा
देवपाल शर्मा
राजेश्वरी
(6)
वीरपाल शर्मा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 314794



मि० रकवा 5.335 है० माल 60 ख के अनुसार सं० भू० में हम प्रथम पक्ष 1/4 भाग के मालिक, काबिज व दखील हैं प्रथम पक्ष को हर प्रकार के हक हस्तान्तरण का पूर्ण अधिकार प्राप्त है इस समय प्रथम पक्ष को बास्ते खर्च खानगी व दीगर इखराजात रूपयो की सख्त जरूरत है अतः प्रथम पक्ष ने खूब सोच व समझ कर विना किसी आग्रह या दवाव के अपनी उपरोक्त आराजी अपने भाग में से रकवा 0.933 है०

(रकवा च दस्तावेज)

देवी चरण शर्मा

देवपाल शर्मा

(1) राजेश्वरी

वीरपाल शर्मा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 314795

को स्थित ग्राम घरबरा पर० टप्पल तह० खैर जिला अलीगढ़
को व एवज मुवलिंग 1500000/पन्द्रह लाख रुपये जिसके
आधे 7500000/सात लाख पचास हजार रुपया होते हैं
बदस्त पं० लक्ष्मीनारायण मैमोरियल महाविद्यालय घरबरा द्वारा
पदेन प्रबन्धक श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नी श्री देवपाल शर्मा
नि० घरबरा पर० टप्पल तह० खैर जिला अलीगढ़ द्वितीय
पक्ष क्रेता को बेच दी बै कतई कर दी प्रथम पक्ष ने कुल

₹ 7500000/-



देवी चरन शर्मा

देवपाल शर्मा



(8) राजेश्वरी



श्री देवपाल शर्मा



Handwritten notes in the top left corner, partially visible.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 314796

कीमत का 1500000/ रु0 श्रीमान सबरजिस्ट्रार खैर के सामने नकद प्राप्त कर लिया है अव मूलधन में एक पैसा पाना शेष नहीं रहा है यदि प्रथम पक्ष मूलधन न पाने या कम पाने का दावा करे तो वह झूठा व निरर्थक होगा। और प्रथम पक्ष ने कब्जा अपना आज की तारीख से हटाकर कब्जा क्रेता का करा दिया है। क्रेता अपना नाम कागजात सरकारी में दर्ज करा ले प्रथम पक्ष को कोई एतराज नहीं

हस्ताक्षर

देवीचरण शर्मा

दयाल शर्मा

राजेश्वरी

(9)

वैद्यनाथ शर्मा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 314797

होगा विक्रित भूमि हर प्रकार के भार व बन्धन से मुक्त तथा पवित्र है यदि प्रथम पक्ष की त्रुटि के कारण विक्रित भूमि या उसका कोई अंश कब्जा कंता से निकल जावे तो वह अपना समस्त मूलधन मय हर्जा खर्जा के प्रथम पक्ष से जिस तौर चाहे बसूल कर ले। कंता उपरोक्त भूमि को जिस तौर चाहे अपने प्रयोग में लावे प्रथम पक्ष को कोई एतराज नहीं होगा। फोटो गवाह नं. 1 ने प्रमाणित किये हैं। विक्रित भूमि का

इकाय नं. ५२११



देवी चरत शर्मा

देवपाल शर्मा



राजेश्वरी

(10)



देवपाल शर्मा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 314798

निर्धारित दर से बाजार मूल्य 1623000/ रु0 है जिस स्टाम्प दिया गया है। विक्रित आराजी भूदान आदि की नहीं हैं विक्रित आराजी में कोई पेड़ पौधा तथा वोरिंग आदि नहीं है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। अतः यह बैनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। बैनामा विक्रेता तथा क्रेता के कथनानुसार टाइप किया गया है। तहरीर दिनांक 12/05/08 ई0।

हस्ताक्षर



देवी चरु शर्मा

देवपाल शर्मा

राजेश्वरी

(11)



वीरपाल शर्मा



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 314799



गवाह नं. 1 राजेन्द्र प्रसाद शर्मा 8/8 3/ वेव्हाम शर्मा लालपुर

सुभाष चंद्र शर्मा

देवी चरण शर्मा

राजेश्वरी

(12)

देवपाल शर्मा

वीरपाल शर्मा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 314800



गवाह नं. 2 राजेश कुमार पुत्र प्रताप कुमार नि. बाराबंका

कम्प्यूटर टाइप कर्ता - रुपेश कुमार शर्मा तह0 खैर

हुकूमतद्वारा

देवी चतुर्दशी

राजेश्वरी

देवपाल शर्मा

(13)

वीरपाल शर्मा

2746

प्र. ०. ... 12-5-88 को रजिस्ट्री की गई।

सज रजिस्ट्रार

